

UB

पत्रांक: Acctts/242/2015-16/ 8853

दिनांक: 8/11/2017

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,  
सभी जिले।

विषय:- बिहार शिक्षा परियोजना अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों के खाता संचालन के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना सं० 1744 दिनांक 23.08.2013, 1178 दिनांक 12.06.2015, 531 दिनांक 08.05.2017 निर्गत किया गया था। पुनः अधिसूचना सं० 2/एम7-14/08/1585 दिनांक 17.10.2017 निर्गत किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। जिसके आलोक में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत लेखा संबंधी कार्यों को सुचारु रूप से कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

1. 10.00 लाख रु० से उपर की राशि के चेक बिहार शिक्षा परियोजना के लेखा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत होंगे।
2. 10.00 लाख रु० तक के चेक बिहार शिक्षा परियोजना के लेखा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान) के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत होंगे।

अतः अधिसूचना सं० 2/एम7-14/08/1585 दिनांक 17.10.2017 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन


  
(संजय सिंह)

राज्य परियोजना निदेशक


ज्ञापांक :- Acctts/242/2015-16/ 8853

दिनांक: 8/11/2017

प्रतिलिपि :- प्रशासी पदाधिकारी/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/असैनिक कार्य प्रबंधक, (प्रभारी), राज्य स्तरीय कार्यालय को सूचनार्थ एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान), सभी जिले को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



राज्य परियोजना निदेशक



शिक्षा का अधिकार  
सर्व शिक्षा अभियान  
सब पढ़ें सब बढ़ें